धारा 129 : माल का निरोध, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में वाहन

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में हो, वहां सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसा माल तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज निरुद्ध किए जाने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा ऐसे निरोध या अभिग्रहण के पश्चात्–

[1][(क)] ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत् के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत् के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत् के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत् के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;**]**

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर निर्मुक्त किया जाएगा :

परन्तु ऐसे किसी माल या वाहन का, परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील किए बिना निरुद्ध या अभिग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) [2][.....]

[3][(3)] माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी,

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा खंड (क) और खंड (ख) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे :

"(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के एक सौ प्रतिशत् के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट–प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर की रकम को घटाकर माल के मूल्य के पचास प्रतिशत् के बराबर शास्ति और छूट–प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;"

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल और वाहनों के निरुद्ध किए जाने और अभिग्रहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात् उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।**]**

(4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपधारा (3) के अधीन [4]**[**शास्ति**]** अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत् सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

[5]**[(6)** जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।**]**

---

3 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (3) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"**(3)** माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के संदाय के लिए एक आदेश पारित करेगा।"

4 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा "कर, ब्याज या शास्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (6) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के [A]**[**चौदह दिन**]** के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आगे और कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परन्तु जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल शीघ्र नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना है तो उक्त [A]**[**चौदह दिन**]** की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

A. सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "सात दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एमओवी–01, जीएसटी एमओवी–02, जीएसटी एमओवी–03, जीएसटी एमओवी–04, जीएसटी एमओवी–05, जीएसटी एमओवी–06, जीएसटी एमओवी–07, जीएसटी एमओवी–08, जीएसटी एमओवी–09, जीएसटी एमओवी–10, जीएसटी एमओवी–11, जीएसटी डीआरसी–10